न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

निगरानी/02/2011

1–महेन्द्र सिह । पुत्रान डोरीलाल
2–मानसिंह । जाति जाट निवासी सुनारी तहसील
3–दिलीपसिंह ।
4–रमेश ।– पुत्रान टोडरसिंह व जिला भरतपुर
5–प्रतापसिंह ।
6–गुलाबसिंह ।

....सायलान

बनाम

1–ग्रांम पंचायत सुनारी पंचायत समिति सेवर द्वारा सरंपच ग्रांम पंचायत सुनारी तहसील व जिला भरतपुर
2–मुकेश पुत्र हरदेव जाति जाट निवाससी सुनारी तहसील व जिला भरतपुर

.....अप्रार्थीगण मूल

3–बहादुर (मुतक)
3/1–सोनू पुत्र बहादुर
3/2–जीत पुत्र बहादुर
3/3–गोलो पुत्री बहादुर
3/4–वीरवती पत्नी बहादुर
} जाति जाट निवासी सुनारी तहसील व जिला भरतपुर
4–बलवीर पुत्र डोरीलाल

.....अप्रार्थीगण तरतीवी

निगरानी अन्तग्रत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध आदेश ग्रांम पंचायत सुनारी दिनांक 16.7.2010

उपस्थित :–

1– श्री महाराजसिंह डांगुर, अभिभाषक प्रार्थी0

निर्णय **दिनांक 21.06.2024**

प्रार्थीगण ने यह निगरानी विरुद्ध अप्रार्थीगण व खिलाफ आदेश ग्रांम पंचायत सुनारी दिनांक 16.7.2010 के खिलाफ पेश की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी.एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। प्रार्थी अभिभाषक की बहस इकतरफा में सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में निगरानी में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि ग्रांम पंचायत सुनारी ने दिनांक 7.7.2003 को उनके पुराने कब्जे के आधार पर नियम 157 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1995 के अन्तर्गत विधिवत रुप से पट्टे जारी किये थे। तहत न्यायालय ने बिना किसी आधार के उक्त पटटों को निरस्त कर दिया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि तहत न्यायालय ने सिविल प्रकिया संहिता की धारा 114 व आदेश 47 नियम 1 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह पुनरावलोकन कार्यवाही की है जब कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्यवाहीयों में सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इस प्रकार अपने अधिकार व शक्तियों से परे खण्डनाधीन आदेश देने में तहत न्यायालय ने त्रुटि की है। पुनरावलोकन भी सिविल प्रकिया संहिता के अन्तर्गत जिस प्रकार प्रावधान है उसके अनुसार केवल किसी सतही स्तर पर होने वाली त्रुटि रह गई हो जो प्रथम अवलोकन से ही सतही तोर पर स्पष्ट नजर आती हो तो उसे शुद्ध किये जाने हेतु ऐसे आदेश का पुनरावलोकन किया जा सकता है प्रस्तुत मामले में उक्त तत्व मोजूद नहीं होते हुये भी त्रुटि पूर्ण आदेश पारित किया है। अप्रार्थी संख्या –2 इस मामले में पूर्व मे पारित आदेश में पक्षकार नहीं था। जो भी कार्यवाही पूर्व में ग्रांम पचांयत द्वारा की गई है वह विधि सम्मत है। अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रकिया व अपने अधिकार क्षेत्र के तहत पूर्व आदेश पारित किया था। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि विवादित भूखण्ड को लेकर सिविल न्यायालय में दीवानी दावा प्रार्थीयान द्वारा किया गया था जिसमें राज्य सरकार तहसीलदार एवं ग्रांम पंचायत सुनारी अप्रार्थी पक्षकार थे, माननीय सिविल न्यायालय ने दीवानी दावा में प्रार्थी के दावा को स्वीकार करते हुये अप्रार्थी0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। उनका यह भी कथन है कि तहत न्यायालय ने आदेश प्रार्थी की गैर हाजिरी में दिया गया है उन्हें खण्डनाधीन आदेश पारित करने से

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

पूर्व तहत न्यायालय ने सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है इसलिये प्रार्थीगण को इस आदेश की जानकारी नहीं थी। दिनांक 8.7.2011 को विवादित भूखण्ड के अन्यंत्र आवंटन करने के सम्बन्ध में ग्रांम पंचायत द्वारा नोटिस देने पर निगरानीकर्तागण को इस की जानकारी हुई तब जाकर नकल वगे लेकर जानकारी होने के दिनांक से निगरानी अन्दर अवधि 90 दिवस पेश की जा रही है। निगरानी स्वीकार कर ग्रांम पंचायत सुनारी का आदेश दिनांक 16–7–2010 निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया योग्य अभिभाषक निगरानीकर्त्ता के कथनों पर गौर किया। निगरानी अधीन आदेश दिनांक 16.7.2010 ग्रांम पंचायत सुनारी का अवलोकन किया गया। ग्रांम पंचायत ने अपने रिव्यू आदेश दिनांक 16.7.2010 में अपने ही आदेश दिनांक 7.7.2003 को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

ग्रांम पंचायत सुनारी के रिव्यू आदेश से स्पष्ट है कि यह प्रार्थना पत्र रिव्यू प्रार्थी मुकेश पुत्र हरदेव जाति जाट निवासी सुनारी ने दिनांक 20.4.10 को ग्राम पंचायत के समक्ष इस आश्य का पेश किया गया कि ग्रांम पंचायत सुनारी द्वारा जारी किये गये पट्टों को विधि विरुद्ध बताते हुये ग्रांम पंचायत द्वारा पारित आदेश 7.7.2003 पट्टा आदेश को रिव्यू किये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थी रिव्यूकर्ता मुकेश पुत्र हरदेव ने रिव्यू प्रार्थना पत्र लगभग सात साल बाद पट्टा आदेश दिनांक 7.7.2003 को रिव्यू कराये जाने हेतु पेश किया गया है।

तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी रिव्यूकर्ता ग्रांम पंचायत के समक्ष पट्टा आदेश दिनांक 7.7.2003 में ना तो पक्षकार था और ना हीं कोई हितधारी था। प्रार्थी रिव्यूकर्ता ग्रांम पंचायत आदेश दिनांक 7.7.2003 से किस प्रकार व्यथित है उसका उसमें क्या हित निहित है, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह माना जा सके कि प्रार्थी

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

रिव्यूकर्ता पीड़ित पक्षकार हो। प्रार्थी रिव्यूकर्ता को ग्रांम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.7.2003 के खिलाफ रिव्यू करने का कोई हक प्राप्त नहीं था।

पत्रावली में उपलब्ध नकल आदेश माननीय न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीन संख्या 4 भरतपुर प्रकरण दीवानी वाद संख्या 49 / 2011 उनवान मानसिह वगे. बनाम राज.सरकार ...ग्रांम पंचायत सुनारी वगे0 निर्णय दिनांक 31.10.2015 का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में विवादित भूखण्ड के बारे में है, जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.10.2015 में वाद वादीगण मानसिंह वगैरा विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेघाज्ञा पांबद किया गया है कि प्रतिवादीगण वाद वर्णित विवादित भूखण्ड पर वादीगण के कब्जे के उपयोग उपभोग व निर्माण में कोई अवरोध कारित नहीं करें तथा वादीगण को विवादित भूखण्ड से बेदखल कर स्वयं का कोई निर्माण नहीं करें।

रिव्यू प्रार्थना पत्र पर ग्रांम पंचायत सुनारी द्वारा पारित रिव्यू आदेश आदेश दिनांक 16.7.2010 को हम विधि सम्मत नहीं पाते हैं क्यों कि ग्रांम पंचायत ने सम्बन्धित पक्षकारान को जो नोटिस जारी किये गये हैं वे विधिवत तामील नहीं हुए हैं। पत्रावली में उपलब्ध नोटिस कमांक / 89–91 दिनांक 20.4.2010 के अवलोकन से जाहिर है कि यह 1–बहादुर सिंह बलवीर सिंह पुत्र डोरी लाल जाति जाट 2–महेन्द्रसिंह मानसिंह पुत्र डोरीलाल 3–रमेश चंद दिलीपसिंह, प्रतापसिंह, गुलावसिंह, को जारी किया गया है उसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.5.10 को उपस्थित होने हेतु लिखा गया है। यह सरंपच की मौहर हस्ताक्षर से जारी किया गया है जिस राईटिंग से नोटिस जारी किया गया है उसी राईटिंग से उक्त व्यक्तियों द्वारा लेने से इन्कार किया की रिपोर्ट अंकित की जाकर नीचे चार व्यक्तियों के हस्ताक्षर करा गये हैं, यह नोटिस अपने आप में सवाल छोड़ता है। दूसरी ओर तहत न्यायालय की पत्रावली में कोई आदेशिका दिनांक 5.5.2010 की संधारित नहीं है, यानि तहत न्यायालय ने सारी कार्यवाही प्रार्थीगण को बिना सुने उनकी अनुपस्थिती में की गई है, तथा नियमों में रिव्यू का लिमिटेड स्कोप है। अतः उभय पक्षकारान की सुनवाई हेतु प्रकरण को ग्रांम पंचायत सुनारी को रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं।

जिला कलक्टर
भरतपुर

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है। ग्रांम पंचायत सुनारी का आदेश दिनांक 16.7.2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्रांम पंचायत सुनारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य वगे0 प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये, पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21–06–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर